सौगात इटारसी-मानिकपुर तीसरी रेल लाइन के प्रस्ताव पर हुई चर्चा, जल्द मंजूरी मिलने के आसार

जबलपुर रेलखंड पर कम होगा दबाव, बढ़ेगी क्षमता

जबलपुर, नवभारत। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के साथ साथ माल की बेहतर ढुलाई को हमेशा ध्यान में रखाजाता है। इसी बीच पीएम गति शक्ति योजना की बैठक में रेल मंत्रालय ने मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बीच एक नया रेल कॉरीडोरतैयार करने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव में इटारसी से जबलपुर होकर मानिकपुर तक तीसरी लाइन बिछाने कीयोजना शामिल है।

अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही इस परियोजना पर कार्य भी प्रारंभ हो सकता है। रेल सूत्रोंके मुताबिक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के बहुआयामी कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाने केउद्देश्य से प्रमुख बुनियादी ढांचा प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग(डीपीआईआईटी) में नेटवर्क योजना समूह (एनपीजी) की 109वीं बैठक आयोजित की गई थी।

बढ़ेगी खंड की क्षमता

रेल अधिकारियों की माने तो बहुचर्चित इटारसी मानिकपुर तीसरी रेल लाइन परियोजना की स्वीकृति मिलते हीइटारसी जबलपुर मानिकपुर रेलखंड की क्षमता में इज़ाफ़ा होगा। इसके साथ ही जबलपुर एवं आसपास के शहरोंसे चलने वाली ट्रेनों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी की जा सकेगी। यही नहीं इटारसी मानिकपुर तीसरी रेल लाइन केस्वीकृत हो जाने से महाकौशल क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिज एवं संसाधनों की बेहतर ढुलाई हो सकेगी।

518 किमी की रहेगी तीसरी रेल लाइन

बैठक में रेल मंत्रालय ने मानिकपुर और इटारसी के बीच तीसरी रेलवे लाइन के प्रस्ताव को रखा, जो उत्तर प्रदेशऔर मध्य प्रदेश में 518.53 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये लाइन चित्रकूट, सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर और नर्मदापुरम जैसे जिलों से गुजरने वाली इस परियोजना का उद्देश्य भीड़भाड़ को कम करना, परिचालन क्षमता में सुधार करना और उत्तर-मध्य भारत के इस महत्वपूर्ण गलियारे पर बढ़ती यात्री और माल ढुलाईकी मांग को पूरा करना है।

माना जा रहा है बड़ा कदम

प्रस्तावित तीसरी रेल लाइन से परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने, नेटवर्क की मजबूती में सुधार होने औरबढ़ती यातायात मांग को पूरा करने तथा भीड़भाड़ को कम करने के लिए अतिरिक्त रेल सेवाओं की शुरुआत होनेकी उम्मीद है। भविष्य के यातायात के लिए इस रूट को अपग्रेड किया जाना है। बैठक में प्रधानमंत्री गतिशक्तिराष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप रेलवे और मेट्रो रेल की परियोजनाओं का आकलन भी किया गया, जिसमेंएकीकृत अवसंरचना नियोजन, आर्थिक और सामाजिक केंद्रों तक अंतिम-मील कनेक्टिविटी और संपूर्ण-सरकारीदृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इनका कहना है

इनका कहना है
निश्चित है कि इटारसी मानिकपुर तीसरी रेल लाइन की स्वीकृति मिलने के बाद इस रेल खंड का भार काम होजाएगा जिसके चलते नई पैसेंजर ट्रैनों को शुरू किया जा सकेगा।

डॉ. मधुर वर्मा, सीनियर डीसीएम, पमरे

मुख्यमंत्री का एयरपोर्ट पर आत्मीय स्वागत

नवभारत,जबलपुर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का गुरुवार शाम सागर जिले के गढ़ाकोटा से डुमना एयरपोर्ट पहुंचने पर आत्मीय स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शाम लगभग 6.30 बजे गढ़ाकोटा से हेलीकॉप्टर द्वारा डुमना एयरपोर्ट पहुंचे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का डुमना एयरपोर्ट पर सांसद आशीष दुबे, जिला पंचायत अध्यक्ष आशा मुकेश गोटिया, भाजपा नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, ग्रामीण अध्यक्ष राजकुमार पटेल, पंकज दुबे, सोनू बचवानी आदि ने पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया। इस अवसर पर कमिश्नर धनंजय सिंह, आईजी प्रमोद वर्मा, कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय व अन्य अधिकारी मौजूद थे। इसके पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव का शाम लगभग 4.25 बजे उदयपुर से वायुयान द्वारा डुमना एयरपोर्ट आगमन हुआ तथा उन्होंने शाम 4.32 बजे हेलीकॉप्टर से गढ़ाकोटा के लिए प्रस्थान किया। गढ़ाकोटा में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव शाम 6.32 बजे वापस डुमना एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से सिवनी में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होने के बाद शाम 7 बजे वायुयान द्वारा रायपुर के लिए रवाना हुए।

होटल में लगी आग, मची भगदड़

जबलपुर। तीन पत्ती स्थित एक होटल में गुरूवार रात्रि आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना से मौके पर अफरा-तफरी एवं भगदड़ मच गई ।

मामले की सूचना तत्काल नगर निगम दमकल विभाग को दी गई । सूचना मिलते ही फायर बिग्रेड ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

शॉर्ट सर्किट से हादसा

जानकारी के मुताबिक तीन पत्ती स्थित द्वारका होटल में गुरूवार रात्रि करीब 8:30 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। चंद ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया । आग लगने से ग्राहकों, कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी भीषण रही कि धुएं के गुब्बारे दूर तक दिखाई दिए।

डेढ़ घंटे में पाया काबू

सूचना मिलते ही फायर बिग्रेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना से मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ लग गई थी। दमकल ने समय पर काबू पा लिया जिसके चलते बड़ा नुकसान नहीं हो सका था।

कचरा प्लांट में भी लगी आग

छुई खदान के पास कचरा प्लांट में भी गुरूवार रात्रि 9:20 बजे अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल वाहन ने पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुट गए थे । देर रात तक आग बुझाने का काम जारी रहा।

पहाड़ी में मिला नर कंकाल

जबलपुर। मझोली थाना अंतर्गत बर्रा धाम के पीछे पहाडी में एक नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आ रही है कि पिछले साल गायब हुए युवक का कंकाल है। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने बताया कि आकाश ठाकुर 24 वर्ष निवासी नदी मोहल्ला इंद्राना ने सूचना दी कि उसके छोटे भाई लखन ठाकुर 21 वर्ष माह अक्टूबर में कहीं चला गया था जिसकी सूचना 25 अक्टूबर 25 को थाना मझोली में दिया था जिस पर गुमइंसान कायम कर जांच में लिया गया था। गुरूवार को भाई आकाश ठाकुर का कंकाल रूपी शव बर्रा धाम के पीछे पहाडी में हरदुआ के पेड मे फांसी पर लटका मिला है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

परिषद ने सिलेक्शन बोर्ड का किया गठन

पूर्व न्यायाधीश एचपी सिंह, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति समेत अन्य को किया शामिल

जबलपुर, नवभारत। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा याचिका में पारित आदेश 19 दिसम्बर एवं 05 फरवरी तथापरिषद की सामान्य सभा द्वारा 13 जनवरी को पारित प्रस्ताव के अनुपालन में परिषद में सचिव पद की नियुक्ति 31 मार्च तक किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

उक्त आदेशों के पालनार्थ तथा नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं विधिसम्मत ढंग से संपन्न करने के उद्देश्य से परिषद के माननीय अध्यक्ष राधेलाल गुप्ता द्वारानिम्नानुसार पाँच सदस्यीय सिलेक्शन बोर्ड का गठन किया गया है। जिसमे न्यायमूर्ति एच. पी. सिंह, पूर्वन्यायाधीश, म.प्र. उच्च न्यायालय, प्रो. मनोज कुमार सिन्हा, कुलपति, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर, जितेन्द्र शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रतिनिधि सदस्य भारतीय विधिज्ञ परिषद एवं सदस्य, मध्यप्रदेश राज्यअधिवक्ता परिषद, के. सी. घिल्डियाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय और अमृत कौर रूपराह, अधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय को शामिल किया गया है। सिलेक्शन बोर्ड सचिव पद हेतु प्राप्त शेष 38 आवेदनों का परीक्षण अभ्यर्थियों की योग्यता, अनुभव एवं अन्य प्रासंगिक मापदंडों के आधार पर करेगी तथा नियुक्ति केसंबंध में अपनी अनुशंसा परिषद को प्रस्तुत करेगी।

दिए गए हैं निर्देश

परिषद के कार्यकारी सचिव को निर्देशित किया गया है कि सिलेक्शन बोर्ड के सदस्यों से समन्वय स्थापित कर, सिलेक्शन बोर्ड के निर्देशानुसार समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कि जाए ताकि निर्धारित समय-सीमा मेंनियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जा सके। परिषद पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के उच्च मानकों का पालन करते हुए प्रक्रियाको समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सात दुकानों पर टीम ने दबिश देकर की जांच

त्यौहारों के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने निरीक्षण जारी

नवभारत, जबलपुर। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रय को रोकने खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने होली के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुये गुरुवार को भी नमकीन, मिठाई, मावा, पनीर विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण की कार्यवाही में दुग्ध उत्पादों मावा, घी, पनीर आदि का मौके पर ही प्राथमिक परीक्षण भी किया गया। प्राथमिक परीक्षण में यूरिया, डिटर्जेंट तथा स्टार्च एवं शक्कर की उपस्थिति नहीं पायी गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मिठाई तथा नमकीन आदि के निर्माण तथा संग्रहण की प्रकिया में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के स्वच्छता एवं सुरक्षा प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिये गये।

इन प्रतिष्ठानों से लिए नमूने

खाद्य सुरक्षा प्रशासन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को निरीक्षण के दौरान त्रिपुरी चौक स्थित मामा स्टोर्स से नमकीन एवं सोयाबीन तेल, गढ़ा स्थित हनुमान डेयरी से दही एवं मावा, भेड़ाघाट चौराहा स्थित बीकानेर मिष्ठान्न भण्डार से मावा बर्फी एवं नमकीन मिक्चर, दुबे मिष्ठान्न भण्डार से बर्फी एवं नमकीन, शहपुरा स्थित बीकानेर मिष्ठान्न भण्डार से कुन्दा पेड़ा एवं मिल्क केक, सराफा स्थित भगवती बीकानेर मिष्ठान्न महल से खोवा एवं खेवा बर्फी, तमरहाई कोतवाली स्थित राजा रसगुल्ला से रसगुल्ला एवं पतीशा के नमूने लिये गये।

चाइना चाकुओं के सप्लायर को अग्रिम जमानत नहीं

हाईकोर्ट ने आवेदक की खारिज की अर्जी

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप नटवरलाल भट्ट की एकलपीठ ने बटनदार चाईना चाकुओं के सप्लायर गलगला चौक मुकादमगंज स्थित विजय जनरल स्टोर के संचालक बेबू कटारिया उर्फ भगवानदास की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।

आवेदक की ओर से दलील दी गई कि सर्चिंग के दौरान दुकान से चाकुओं की जप्ती नहीं हुई थी। आवेदक का स्वास्थ भी ठीक नहीं है। आरोपी की उम्र भी 56 वर्षीय है। राज्य शासन की ओर से अतरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराह एवं पैनल अधिवक्ता हिमांशु तिवारी ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि जबलपुर में चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं। अपराधियों द्वारा आए दिन चाकूबाजी, हत्या व हत्या के प्रयास के अलावा गुंडा टैक्स वसूली करने इन चाकुओं का उपयोग किया जा रहा है। पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में चाईना चाकुओं को बेचने वालो के खिलाफ कार्यवाही की है। आर्म्स एक्ट के तहत बटनदार चाकू रखना व बेचना प्रतिबंधित है। राज्य शासन द्वारा बटनदार चाकू बैन किया गया है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

कार में ऑनलाइन सट्टा खिलाते दो धराए, सिंडिकेट का पर्दाफाश

नवभारत, जबलपुर। रांझी पुलिस ने टी-20 वर्ल्ड कप के दौरान ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने दो सटोरियों को रंगे हाथों पकड़ा गया जो कार के भीतर बैठकर श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड मैच पर दांव लगवा रहे थे।

एएसपी आयुष गुप्ता ने बताया कि रांझी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रामनगर रांझी स्थित सामुदायिक भवन मेमोरी तिराहा के पास एक कार क्रमांक एमपी 20 जेड जी 0030 में बैठकर कुछ युवक मोबाइल पर सट्टा खिला रहे हैं। पुलिस ने टीम गठित कर दबिश दी और घेराबंदी कर कृष्णा नामदेव निवासी आदर्श मार्केट और अनमोल पटारिया उर्फ बीसू निवासी दर्शन तिराहा को दबोच लिया।

मोबाइल में खुले थे क्रिकेट गुरु और थर्ड आई एप

थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने बताया कि तलाशी के दौरान आरोपियों के

मोबाइल में क्रिकेट गुरु और थर्ड आई जैसे एप्लिकेशन खुले मिले, जिनमें मैच के भाव और रनों पर दांव लगाया जा रहा था। पुलिस ने उनके पास से 4 महंगे मोबाइल , नगद 20,350 व सट्टे में प्रयुक्त कार एमपी 200 जेड जी 0030 जब्त की है। साथ ही दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद एक दिन की रिमांड में लिया है जिसमें आरोपित सट्टेबाजी से जुड़े नए राज खोल सकते है।

खत्री बंधुओं से जुड़े हैं तार, चल रहा था पूरा सिंडिकेट

नगर पुलिस अधीक्षक रांझी सतीष कुमार साहू के मुताबिक पूछताछ में मुख्य आरोपी अनमोल उर्फ बीसू पटारिया ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि वह सट्टे की मास्टर आईडी दिलीप खत्री और संजय खत्री से लेता है। इसके बाद उसने अपने अधीन एजेंटों का एक पूरा सिंडिकेट बना रखा था, जिसमें अंकुश शिवहरे, विशाल सराफ, राहुल ललवानी, अंकित सोनकर और विवेक गुप्ता जैसे नाम शामिल हैं। ये सभी आईडी और पासवर्ड बांटकर खिलाड़ियों से हार-जीत का दांव लगवाते थे और मैच के बाद नगद लेनदेन करते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य एजेंटों और मुख्य सरगना दिलीप व संजय खत्री की तलाश में जुट गई है।

पत्नी के अनैतिक संबंध से तनाव में पति ने की थी आत्महत्या

मर्ग जांच में खुलासा : उकसाने वाली पत्नी पर प्रकरण दर्ज

नवभारत, जबलपुर। गोरखपुर थाना अंतर्गत रामनगर एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी। मर्ग जांच में यह बात सामने आई कि मृतक मानसिक तनाव और पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहा था। पत्नी के अनैतिक संबंध थे जिसके उकसाने पर उसने आत्मघाती कदम उठाया था। पुलिस ने पत्नी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

गोरखपुर पुलिस ने बताया कि सात जनवरी को दीपक कुमार वर्मा निवासी चित्रांश स्कूल का पास रामनगर गोरखपुर ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए मृतक के परिजनों के बयान दर्ज किए। जिसमें पता चला कि मृतक दीपक वर्मा की पत्नी श्रीमती रश्मि कनौजिया के द्वारा विवाहित होने के पश्चात भी अन्य पुरुष से अनैतिक संबंध थे। पति द्वारा उसे मना करने पर दोनों पति पत्नि के मध्य इसी बात को लेकर वाद विवाद होता था। दीपक वर्मा का पिछले करीब 1 वर्ष से मानसिक रूप से प्रताड़ित था। पत्नी रश्मि द्वारा पति दीपक को आत्महत्या के लिये उकसाया गया था। जिसके चलते दीपक ने घर के कमरे में सीलिंग में लगे पंखे से धारीदार चादर का फँदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जांच में खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपिया पत्नी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।

हरे भरे पेड़ों का कत्लेआम, एफआईआर दर्ज

जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत शहीद अब्दुल हमीद वार्ड, गांधी चौक स्थित प्लॉट में लगे हरे भरे पेड़ों का धड़ल्ले से कत्लेआम किया गया । इस मामले में अब नगर निगम ने अधारताल थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है।

इस संबंध में सहायक यंत्री उद्यान श्रीमती दीप्ति भनारिया ने बताया कि संभाग क्रमांक 7 अधारताल के शहीद अब्दुल हमीद वार्ड, गांधी चौक में कुछ दिनों पूर्व एक खाली प्लॉट में लगे पेड़ों को अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा काट दिया गया था। जैसे ही यह जानकारी नगर निगम के संज्ञान में आयी, अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लिया। पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, नगर निगम के उद्यान विभाग ने न केवल कटे हुए पेड़ों को जप्त किया, बल्कि अज्ञात दोषियों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। कार्यवाही के समय स्वास्थ्य अधिकारी, संभागीय अधिकारी, संभागीय यंत्री, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक आदि उपस्थित रहे।

कार्रवाई तालाबंदी की कार्रवाई के साथ बल्देवबाग और भानतलैया संभागों में चलाया गया अभियान

दो संभागों में 28 करदाताओं के खिलाफ कुर्की

नवभारत, जबलपुर। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर नगर निगम द्वारा संभागवार एवं वार्डवार वसूली अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जिन करदाताओं के द्वारा बार-बार सूचना देने के बाद भी बकाया करों की राशि जमा नहीं की जा रही है, उन सभी करदाताओं के विरूद्ध कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। कुर्क सम्पत्तियों को अवधि के बाद वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए नीलाम करने की कार्रवाई भी की जायेगी। संभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगम की राजस्व टीम ने संभाग स्तरीय सदस्यों के सहयोग से बल्देवबाग और भानतलैया संभागों में प्रभावी कार्यवाही की। जिसमें संभाग क्रमांक 5 बल्देवबाग में सहिदाने करबला इमाम हुसैन मुतवल्ली गुलाम अहमद हुसैन मार्केट कमानिया गेट पर 1 लाख 5 हजार 7 सौ 23, सम्पत्ति कर की राशि जमा नहीं करने पर 10 दुकानों पर तालाबंदी की कार्यवाही की गई एवं कृष्ण तिवारी पर 65 हजार 7 सौ 23, विवेक जैन पर 15 हजार, तामिया पर 25 हजार रूपये एवं जफरूदीन, से कार्यवाही के समय राशि वसूल की गई ।

इसी प्रकार संभाग क्रमांक 8 भानतलैया अंतर्गत खेरमाई वार्ड में वसूली अभियान चलाया गया, जिसमें रघुवीर प्रसाद पर 1 लाख 40 हजार 9 सौ 11 रूपये, कामता अग्रवाल पर 4 लाख 46 हजार 2 सौ 21 रूपये, धनुषधारी मंदिर पर 59 हजार 3 सौ 83, मुरारी लाल पर 35 हजार 6 सौ 53, इस्माइल खान पर 39 हजार 4 सौ 94, कुंवर लाल पर 1 लाख 93 हजार 9 सौ 87, अ. कुद्दूस पर 1 लाख 2 हजार 15, संतोष पर 2 लाख 11 हजार 8 सौ 69, सुषमा पर 1 लाख 53 हजार 3 सौ 57 एवं पार्वती पर 83 हजार 6 सौ 47, केशरवानी पंच प्रदर्शन समाज पर 2 लाख 25 हजार 9 सौ 14, सेकेण्डरी अनवर इस्लामिया पर 2 लाख 75 हजार 4 सौ 25, जगदीश स्वामी ट्रस्ट पर 2 लाख 70 लाख 3 सौ 50 रूपये बकाया होने पर कुर्की की कार्रवाई की गयी। कार्यवाही के समय संभागीय अधिकारी अनुपम शुक्ला, महेन्द्र पाल सिंह उइके, राजस्व निरीक्षक देवनाथ राठौर, टी.सी. अरविंद सिंह, अफजाल अजीम, संदीप साहू, रामेश्वर दुबे, गुलाम अंबिया, ठाकुर प्रसाद, उमेश राजपूत, विजय सहित राजस्व टीम मौजूद रही। जबलपुर नगर निगम के क्षेत्र में संचालित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए व्यापार लाइसेंस लेना अनिवार्य है। वर्ष 26-27 के लिए लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मार्च माह में संभावित भीड़ को देखते हुए व्यापारियों से समय रहते लाइसेंस नवीनीकरण कराने की अपील की गई है, ताकि अंतिम समय की भीड़भाड़ से बचा जा सके।